महत्वपूर्ण

संख्या–620/सैंतीस–2–2024–5(53)18टी0सी0–5

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

2–समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः–प्रदेश में बड़े पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) का शतप्रतिशत ईयर टैगिंग कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल पशु आबादी का प्रदेश है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 1.90 करोड़ गोवंशीय पशु एवं 3.30 करोड़ महिषवंशीय पशु इस प्रकार कुल 5.20 करोड़ बड़े पशु हैं। पशुओं का डाटाबेस संरक्षित करने एवं समुचित प्रबंधन हेतु शत–प्रतिशत ईयर टैग किया जाना अनिवार्य है। समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत पशुओं का ही ईयर टैग किया गया है।

2. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) का शतप्रतिशत ईयर टैग कराये जाने हेतु निम्नाकिंत समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) प्रदेश में स्थित समस्त वृहद गो आश्रय स्थलों/अस्थायी गो आश्रय स्थलों/कांजी हाऊस/शहरी क्षेत्र में स्थित कान्हा गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 31.03.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रदेश में स्थित पंजीकृत गोशालाओं में रक्षित गौवंश की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 15.06.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) पशुपालकों एवं डेयरी फार्म संचालकों द्वारा पाले जा रहे पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 30.06.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त कार्ययोजना के अनुरार कार्य पूर्ण न करने को अत्यन्त गम्भीर चूक एवं कार्य के प्रति उदासीनता माना जायेगा तथा जिन जनपदों में उक्त

Scanned with CamScanner

कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होता है, उनके प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by
रविन्द्र
Date: 15-03-2024 17:52:18
Reason: Approved

(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–620(1)/सैंतीस–2–2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2– निदेशक, (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner